रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 493] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 11, 1985/आश्विन 19, 1907
No. 493] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 11, 1985/ASVINA 19, 1907

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1985

का आ 748(अ)—केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 15 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के उप सचिव श्री ए. के. नूथरा को 14 अक्तूबर से 23 अक्तूबर, 1985 तक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करती है ।

[संख्या एस-11011/2/84-एमीग्रेशन-2]

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th October, 1985

S.O. 748(E).---In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri A. K. Luthra, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Labour to be the competent authority with effect from 14th October to 23rd October, 1985

[S. 11011/2/84-Emig II]

का.आ. 749(अ) —केन्द्रीय सरकार उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के उप-सचिव, श्री ए के लूथरा को 14 अक्तूबर से 23 अक्तूबर, 1985 तक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नियुक्त करती है ।

[सं एस-11011/2/84-एमीग्रेशन-II]

ए के टण्डन संयुक्त सचिव

749(E).---In exercise of the powers conferred by section 9 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) the Central Government hereby appoints Shri A. K Luthra, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Labour to be the registering authority with effect from 14th October to 23rd October, 1985.

[S. 11011/2/84-Emig II]

A. K. TANDON, It Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI-110054 1985